

झारखंड विधानसभा में दो नए और दो संशोधन विधेयक पारित

चर्चा में क्यों?

2 अगस्त, 2023 को झारखंड विधानसभा में 'कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2023' सहित दो नए और दो संशोधन विधेयक पारित हो गए।

प्रमुख बिंदु

- 'कारखाना (झारखंड) संशोधन विधेयक, 2023' में प्रावधान किया गया है कि अब महिलाएँ किसी फैक्ट्री में शाम 7:00 बजे से सुबह के 6:00 बजे तक काम कर सकेंगी। पहले रात 12:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक काम नहीं करने का प्रावधान था।
 - मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि सरकार महिलाओं को समान अधिकार देना चाहती है। नए संशोधन से अब महिलाएँ तीनों शिफ्ट में काम कर सकेंगी। भाजपा के वॉकआउट के बीच यह विधेयक ध्वनित से पारित हो गया।
- सदन में 'आरोग्यम इंटरनेशनल यूनविर्सिटी विधेयक, 2023' और 'सीवी रमण ग्लोबल यूनविर्सिटी विधेयक-2023' भी पारित हुए।
- इनके अलावा 'अधिवक्ता कल्याण नधि संशोधन विधेयक, 2023' को भी सदन ने मंजूरी दे दी। इसमें स्टॉप शुल्क से कल्याण कोष में जाने वाली राशि को 15 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए करने का प्रावधान है। प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि इस मद में लोग स्वेच्छा से पैसा देते हैं।